संख्याः– 1940 / नौ–5–18–360सा / 2016

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– मिशन निदेशक(अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2– मिशन निदेशक (एस0बी0एम0), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3– निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4– अपर निदेशक, राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, लखनऊ।
5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6– अपर परियोजना निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 31 मई, 2018

विषयः–नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित 'अमृत योजना के अन्तर्गत पेयजल तथा सीवरेज कनेक्शन, 'स्वच्छ भारत मिशन' (नगरीय) के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण तथा नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज कनेक्शन हेतु IEC तथा लाभार्थियों के Behavioral Change Management हेतु चयनित सिविल सोसाइटी संगठनों को देय धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु (पेमेन्ट प्रोटोकॉल)/ दिशा–निर्देश के संबंध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3897/नौ–5–17–360सा/16, दिनांक 10.10.2017, शासनादेश संख्या–5520/नौ–5–17–449सा/17, दिनांक 09.01.2018, संख्या–51/नौ–5–18–360सा/16, दिनांक 16 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या–1795/नौ–5–18–449सा/17, दिनांक 22.05.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो अमृत/स्वच्छ भारत मिशन/नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0ई0सी0 कार्य के लिए आबद्ध किये गये CSOs से संबंधित है।

2– चयनित CSOs/संस्थाओं को अनुमन्य धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु पेमेन्ट प्रोटोकाल निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ हैः–

(1) अमृत योजना के ए0एण्डओ0ई0 मद/स्वच्छ भारत मिशन के आई0ई0सी0 मद में प्राप्त धनराशि को इस कार्य पर व्यय किया जायेगा। आई0ई0सी0 का कार्य प्राप्त होने वाले परिणाम पर आधारित होगा, जो स्टेट सी0एस0ओ0/मदर सी0एस0ओ0/सी0एस0ओ0 द्वारा किये जायेंगे।

(2) तीनों कार्यो (पेयजल कनेक्शन, सीवरेज कनेक्शन तथा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण) की प्रगति पीएमयू द्वारा तैयार मोबाइल ऐप तथा वेब पोर्टल (aasaan.org तथा aasaan.info) के माध्यम से ही रिपोर्ट की जायेगी।

(3) स्टेट सी0एस0ओ0/मदर सी0एस0ओ0/सी0एस0ओ0 को अनुमन्य धनराशि का भुगतान किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नवत किया जाता हैः–

क्र0	पदनाम	समिति में प्रास्थिति
1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2	मिशन निदेशक(अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय।	सदस्य
3	मिशन निदेशक(एस0बी0एम0),नगरीय निकाय निदेशालय।	सदस्य
4	अपर परियोजना निदेशक, राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।	सदस्य

5	निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।	सदस्य सचिव
6	अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ	सदस्य
7	पी0एम0यू0–(नमामि गंगे) राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।	सदस्य

(4) उपरोक्त समिति की प्रत्येक माह (दिनांक 7 अथवा 8 को) बैठक आहूत की जायेगी। बैठक में पी0एम0यू0 नमामि गंगे/एम0आई0एस0 इन्चार्ज द्वारा गत माह में तीनों योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की प्रगति पर प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

(5) उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के उपरान्त स्टेट सी0एस0ओ0 द्वारा प्रगति उनके आवंटित क्षेत्र में कार्यरत मदर सी0एस0ओ0/सी0एस0ओ0 द्वारा कराये जाने वाले कार्यो के विषय पर होगा। तदनुसार देय भुगतान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

(6) उक्त समिति की बैठक के उपरान्त बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर हस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसके अनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

(7) तीनों योजनाओं में लाभार्थी का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त लाभार्थी के मोबाइल पर यह एसएमएस स्टेट सी0एस0ओ0 द्वारा भेजा जायेगा कि "क्या उनका कार्य पूर्ण हो गया है।" नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। इसके उत्तर में लाभार्थी से प्राप्त फीडबैक को स्टेट सी0एस0ओ0 द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत किया जायेगा। तीनों कार्यकमों में पूर्ण किये गये कार्य के फोटोग्राफ्स/समय/स्थान/गृह संख्या आदि को एमआईएस पर अपलोड किया जायेगा। साक्ष्य के रूप में वोटर/आधार/राशन कार्ड आदि में से कोई एक डाक्यूमेन्ट भी अपलोड किया जायेगा।

(8) भुगतान की कार्यवाही संबंधित मिशन निदेशक (अमृत, पेयजल कनेक्शन हेतु, स्वच्छ भारत मिशन–व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु, अपर परियोजना निदेशक, एस0पी0एम0जी–सीवरेज कनेक्शन हेतु) किया जायेगा।

3– उपरोक्त पेमेन्ट प्रोटोकाल की व्यवस्था हेतु संदर्भित शासनादेश दिनांक 10.10.2017 के कम में किया जा रहा है।

भवदीय,
Manoj 31.5.18
(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1950 (1)/नौ–5–2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4– समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/उत्तर प्रदेश।
6– गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल को नगर विकास विभाग की वेबसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
(अवधेश कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।

Rathor-Old-2017-G.O.-J.G.